उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)
शक्ति भवन, 14–अशोक मार्ग, लखनऊ
CIN: U32201UP1999SGC024928

I/11111/2025 काविनी एवं विनियम-29/पाकालि/25 Comp.No. 31776 15-05-2025

कार्यालय ज्ञाप

कम्पनी अधिनियम-2013 की धारा-179 तथा निगम के आर्टिकल आफ एसोसिएशन के आर्टिकल-47, 48 एवं अन्य विधिक प्राविधानों के अन्तर्गत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा **उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड कार्मिक (अनुशासन एवं अपील) विनियमावली-2020** में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है:-

उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 कार्मिक (अनुशासन एवं अपील) (चतुर्थ संशोधन) विनियमावली-2025

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ	(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 कार्मिक (अनुशासन एवं अपील) (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2025 कही जायेगी। (2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।	
नियम 7 (सात) का संशोधन	उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 कार्मिक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 2020 में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये नियम-7 के विद्यमान उपनियम (सात) के स्थान पर **स्तम्भ** -2 में दिया गया नियम प्रतिस्थापित किया जाता है :-	
	स्तम्भ-1 **विद्यमान नियम**	**स्तम्भ-2** **एतदद्वारा प्रतिस्थापित नियम**
	(सात)-जहां आरोपित कार्मिक आरोपों को इन्कार करता है, वहां जांच अधिकारी/जांच समिति आरोप-पत्र में	**(सात)**-जहां आरोपित कार्मिक आरोपों को इन्कार करता है, वहां जांच अधिकारी/जांच समिति यदि नियम- 7 (तीन) के अनुसार,

	प्रस्तावित साक्षी को बुलाने की कार्यवाही करेगा और आरोपित कार्मिक की उपस्थिति में जिसे ऐसे साक्षियों की प्रति परीक्षा का अवसर दिया जायेगा, उनके मौखिक साक्ष्य को अभिलिखित करेगा । उपर्युक्त साक्ष्यों को अभिलिखित करने के पश्चात् जांच अधिकारी/जॉच समिति उस मौखिक साक्ष्य को मांगेगा और उसे अभिलिखित करेगा जिसे आरोपित कार्मिक ने अपनी प्रतिरक्षा में अपने लिखित कथन में प्रस्तुत करना चाहा था। प्रतिबन्ध यह है कि जांच अधिकारी/जॉच समिति ऐसे कारणों से जो लिखित रूप से अभिलिखित किये जायेगे, किसी साक्षी को बुलाने से इन्कार कर सकेगा।	आरोप-पत्र में दस्तावेजी साक्ष्य साबित करने के लिए प्रस्तावित साक्षियों के नाम उल्लिखित हो तो आरोप पत्र में उल्लिखित साक्षियों को बुलाने की कार्यवाही करेगा और आरोपित कार्मिक की उपस्थिति में जिसे ऐसे साक्षियों की प्रति परीक्षा का अवसर दिया जायेगा, उनके मौखिक साक्ष्य को अभिलिखित करेगा। उपर्युक्त साक्ष्यों को अभिलिखित करने के पश्चात्, जांच अधिकारी/जांच समिति उस मौखिक साक्ष्य को मांगेगा और उसे अभिलिखित करेगा जिसे आरोपित कार्मिक ने अपनी प्रतिरक्षा में अपने लिखित कथन में प्रस्तुत करना चाहा था। परन्तु यह कि जांच अधिकारी/जांच समिति ऐसे कारणों से जो लिखित रूप से अभिलिखित किये जायेगें, किसी साक्षी को बुलाने से इन्कार कर सकेगा। परन्तु यह और कि यदि आरोपित कार्मिक स्वयं अपने लिखित विवरण के माध्यम से दस्तावेजी साक्ष्यों के साथ-साथ मौखिक साक्ष्य के कोई प्रमाणन की वांछना नहीं करता है, तो जॉच अधिकारी, इस तथ्य को लिखित रूप से अभिलिखित करेगा और

		मौखिक साक्ष्य के प्रतिपरीक्षण का कोई अवसर दिए बिना, केवल आरोपित कार्मिक के लिखित विवरण एवं अभिलेखीय साक्ष्यों के आधार पर ही जाँच अधिकारी/जांच समिति जांच की कार्यवाही समाप्त करेगा/करेगी।

अध्यक्ष, पाकालि

I/11111/2025 काविनी एवं विनियम-29/पाकालि/25 Comp.No. 31776 15-05-2025

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3. प्रबन्ध निदेशक, समस्त विद्युत वितरण निगम एवं केस्को एवं यू0पी0आर0 ई0वी0 के निजी सचिव।
4. निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
5. समस्त निदेशकगण, उ0प्र0 पावर कारपोरेषन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
6. अपर सचिव-प्रथम/द्वितीय/तृतीय, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
7. मुख्य अभियन्ता (जल-विद्युत), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
8. समस्त मुख्य अभियन्ता, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
9. अध्यक्ष/सचिव, विद्युत सेवा आयोग, एस0एल0डी0सी0 परिसर, गोमती नगर, लखनऊ।
10. समस्त संयुक्त सचिव,उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
11. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
12. उप महाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।

13. समस्त उप सचिव/अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।

14. कम्पनी सचिव, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।

15. अधिशासी अभियन्ता (वेब), कक्ष सं0-407, शक्ति भवन, लखनऊ को उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 की वेबसाइट www.uppcl.org पर अपलोड करने हेतु।

आज्ञा से,

15/5/25

(अंजू)

अनु सचिव (काविनी एवं विनियम)